

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्र. 18369/22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./प्रशा./2017


भोपाल; दिनांक 02/ 8 /2017

:: परिपत्र ::

प्राधिकरण के परिपत्र क्र. 17516 दिनांक 20/07/2017 के माध्यम से उत्कृष्ट कार्यों के लिये पुरस्कृत करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। इसके साथ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निर्माण किये गये ब्रिज जो निर्धारित समय सीमा में जून 2017 के पूर्व दो वर्षों में पूर्ण किये गये हैं, ऐसे प्रकरणों में भी पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान रखा जा रहा है। 15 अगस्त 2017 को पुरस्कारों का वितरण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारण किये गये हैं, जिसके अंतर्गत आने वाले महाप्रबंधक/सहायक प्रबंधक/उपयंत्री एवं ठेकेदारों की जानकारी इस प्राधिकरण मुख्यालय को प्रेषित की जावे :-

- 1) महाप्रबंधक, सहायक प्रबंधक व उपयंत्री प्रत्येक में से एक-एक अधिकारी को पुरस्कृत किया जाना है, जिन्होंने विगत दो वर्षों में दो करोड़ की लागत से ऊपर के ब्रिज का निर्माण समय सीमा में पूर्ण किया हो।
- 2) ऐसे तीन ठेकेदार, जिन्होंने विगत दो वर्षों में दो करोड़ की लागत से ऊपर के ब्रिज का निर्माण समय सीमा में पूर्ण किया हो।

उपयुक्त ठेकेदारों एवं अधिकारियों की जानकारी मय मापदण्ड के मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित करें।



(एम.के. गुप्ता)


प्रमुख अभियंता

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

पृ.क्र. 18370/22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./प्रशा./2017
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 02/ 8 /2017

1. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश।
2. वित्तीय सलाहकार, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल।
3. महाप्रबंधक (समस्त), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय/पीआईयू म.प्र.।
4. टास्क मैनेजर/डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



प्रमुख अभियंता

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल